

भारत का राजपत्र दिनांक 10.12.2003 अंक में प्रकाशित
सा.कर नि. 23 (अ) वन संरक्षण अधिनियम 2003 नियम

परिशिष्ट

(देखिये नियम 6)

फार्म (क)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 2 के
अंतर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या - FP/CG/SubStation/145115/2021

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

01	परियोजना विवरण :-		
i	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम संक्षिप्त विवरण ।	:-	ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वन खण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक-पी.1259 में से रकबा 3. 24 हे. वन भूमि में कार्यपालन अभियंता (सिविल), संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड कांकेर द्वारा 132/33 के.व्ही.उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित है ।
ii	1:50000 स्केल मानचित्र पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र ।	:-	मानचित्र संलग्न है ।
iii	परियोजना का लागत ।	:-	21.00 करोड़
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।	:-	उपयुक्त एवं आवश्यकतानुसार राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण, इस उपकेन्द्र हेतु चयनित वन भूमि ,जो कि भौगोलिक, तकनीकी एवं पहुँच मार्ग की दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है, जिसके कारण वन भूमि में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्तावित किया गया है ।
v	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)	:-	आवश्यक नहीं ।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	:-	उपकेन्द्र के निर्माण से पर्याप्त एवं लगातार विद्युत

			सप्ताई होने से आर्थिक विकास अवश्यभावी है, जिससे उद्योगों का विस्तार होगा तथा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।		
02	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	:-	क्र.	कार्य का मद	रकबा (हे.में.)
			1	132/33 के.व्ही. यार्ड	1.562
			2	नियंत्रण कक्ष	0.050
			3	रोड़/केबल ट्रेंच	0.100
			4	फियूचर-बे	1.528
				कुल योग :-	3.240
03	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण, यदि कोई है तो ?	:-			
i	परिवारों की संख्या	:-	निरंक।		
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:-	निरंक।		
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)	:-	निरंक।		
04	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	:-	नहीं।		
05	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ - साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	:-	आवश्यक नहीं है।		
06	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का ब्यौरा।	:-			

तिथि :- 29/11/2022

स्थान :- कांकेर


(यू.मन सिंह नागवंशी)

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग

छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि.कांकेर